संख्याः 24 / XI / 15 / 56(28) / 2014

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–02 देहरादून, दिनांकः 31 जनवरी, 2015

विषयः– "मेरा गांव मेरी सड़क" योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक 28.12.2014 को सम्पन्न बैठक में पारित निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गांवों को सड़क के माध्यम से जोड़ने एवं गांवों से पलायन रोकने के दृष्टिगत **"मेरा गांव मेरी सड़क"** नामक योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत एक कि0मी0 तक की लम्बाई की छोटी ग्राम लिंक सडकों का निर्माण कराया जाना है। ये ग्राम लिंक सडकें विभिन्न ग्रामों को विभिन्न योजनान्तर्गत बनायी गयी मुख्य सडक मार्ग से जोडेंगी। इन ग्राम लिंक सडकों का निर्माण सम्बन्धित विकास खण्डों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रश्नगत योजना में उन सड़कों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिनमें वन अधिनियम के अधीन अनुमति आवश्यक हो। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में दो–दो ग्राम लिंक सडक बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्नगत् योजना का विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मॉडल एस्टीमेट संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इस योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों के प्रस्ताव प्राप्त कर अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, ग्राम्य विकास मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य स्तरीय मनरेगा प्रकोष्ठ, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

desktop: G.O.docx

परिशिष्ट–1

"मेरा गांव मेरी सड़क" योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण व मूल्यांकन हेतु दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा विषम भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न हैं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य सड़क को आन्तरिक सड़कों से जोड़ने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि वे अन्य लोगों के सम्पर्क में आसानी से आ सकें साथ ही गाँव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका में सुधार कर सकें तथा गाँवों से हो रहे पलायन को रोका जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु "मेरा गाँव मेरी सड़क" योजना प्रारम्भ की जा रही है।

2. योजना का उद्देश्य

- दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों की असंयोजित बसावटों को मुख्य सड़क से जोड़ना।
- आजीविका में सुधार।
- स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- पलायन में रोक।

3. योजना के नियोजन का स्वरूप

- "मेरा गाँव मेरी सड़क" योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण राज्य सरकार तथा महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण के माध्यम से किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों हेतु कंक्रीट का उपयोग किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत परियोजनाओं का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा जिसका अनुमोदन पंचायत के किसी भी स्तर से प्राप्त किया जा सकता है।
- पंचायत स्तर से प्राप्त अनुमोदित प्रस्ताव को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त योजनाओं की स्थानीय प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं योजनाओं का परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिला विकास अधिकारी विकासखण्डों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
- योजनान्तर्गत चयनित की जाने वाली समस्त योजनाओं को महात्मा गांधी नरेगा के दिशा–निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा के लेबर बजट में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. दायित्व

- विकासखण्ड स्तर पर योजनाएं प्राप्त करने, नियोजन, कार्यान्वयन का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का होगा।
- जनपद स्तर पर योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित जनपदों द्वारा किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा।
- राज्य स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग का होगा।

5. योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

- योजना क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर ग्राम्य विकास नोडल विभाग होगा। राज्य स्तर पर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा योजना का संचालन किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर योजना का नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का सम्पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। जिलाधिकारी जनपद स्तर पर योजना के नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए संगत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय लेंगे एवं कार्यों की समीक्षा करेंगे।
- विकासखण्ड स्तर पर योजना का नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का सम्पूर्ण दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का होगा। खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड स्तर पर योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए संगत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय लेंगे एवं कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावों को स्क्रीनिंग कर सम्बन्धित जनपद को प्रेषित करेंगे।
- योजनान्तर्गत गैप फिलिंग मनरेगा के दिशा–निर्देशों से की जाएगी।

6. योजना की वित्तीय व्यवस्था

- "मेरा गाँव मेरी सड़क" योजना हेतु 50% धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
- शेष 50% धनराशि महात्मा गांधी नरेगा/सांसद निधि/विधायक निधि/CSR/स्वायत्तशासी संस्था एवं अन्य मद से केन्द्राभिसरण/ युगपितीकरण के माध्यम से वहन की जायेगी।

7. कार्यदायी संस्था

योजनान्तर्गत 01 किमी0 तक की सड़क का निर्माण सम्बन्धित विकासखण्ड के माध्यम से तथा 01 किमी0 से अधिक की सड़क का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

8. पारदर्शिता एवं जवाबदेही

- कार्य की गुणवत्ता एवं इससे सम्बन्धित मुद्दों पर स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करने हेतु महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक सम्प्रेक्षण प्रणाली के माध्यम से कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

- कार्यों का शत–प्रतिशत भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन जिला अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा अथवा सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी /सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
- जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसी तकनीकी अधिकारी के साथ मिलकर योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का शत–प्रतिशत भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का शत–प्रतिशत एम०आई०एस० नरेगासॉफ्ट में किया जायेगा।
- राज्य स्तर पर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जिलाधिकारियों के साथ इस योजना के अन्तर्गत कार्यों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा बैठक आहूत कर समीक्षा की जायेगी।

9. दिशा–निर्देश का लागू किया जाना

- यह दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा भविष्य में दिशा–निर्देशों में यदि कोई अवक्रमण/प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो तो दिशा–निर्देशों में अवक्रमण/प्रतिस्थापन का अधिकार शासन में निहित होगा।
- इस योजना के दिशा–निर्देशों से सम्बन्धित स्पष्टीकरण अथवा इन दिशा–निर्देशों में दिये गये प्राविधानों की व्याख्या शासन के सम्मुख रखी जायेगी तथा शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग,
संख्या 2615/XI/16/56(28)2014
देहरादून, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

शुद्धि–पत्र

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 2546/XI/16/56(28)2014 दिनांक 2.11.2016 की सारणी में मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत 01 किमी0 तक की सी0सी0 सड़क निर्माण हेतु मॉडल आगणन की लागत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में मैदानी क्षेत्र हेतु रू0 69.46 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू0 49.21 लाख टंकण त्रुटिवश अंकित हो गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2546 दिनांक 2.11.2016 में उल्लिखित सारणी को निम्नानुसार पढ़ा जायः–

क्र0सं0	क्षेत्र	मॉडल आगणन की लागत(रू0 में)
1.	मैदानी क्षेत्रों में 01 किमी0 तक की सी0सी0 सड़क की लागत	49.21 लाख
2.	पर्वतीय क्षेत्रों में 01 किमी0 तक की सी0सी0 सड़क की लागत	69.46 लाख

उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के अन्य बिन्दु/शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीया,
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, ग्राम्य विकास मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. [illegible]
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, देहरादून।

आज्ञा से,
(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।